


वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादी को उक्त 490 वर्गमीटर भूमि का कब्जा बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 490 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे । खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे ।

आज दिनांक 12-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।


उपखण्ड (संयोजक) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन
हमीरगढ, जिला-सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी: - झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 40/2024

उन्वान

1. चन्दी पत्नि श्रवण जाति गाडरी नि० बरडोद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)

..... वादीगण

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र भैरु सिंह राजपूत नि० बरडोद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु
उपरिस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण -श्री अम्बालाल कुमावत उप०

प्रतिवादीगण संख्या 01 :-एकतरफा

राज्य पक्ष की ओर से परोकार सरकार उप०

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-12.02.2026

वादीया अपना वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 सात नियम 01 एक व 02 दो जा०दी० के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सादर निवेदन करता है कि यह कि वादीया के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात वाके ग्राम बरडोद, पटवार हल्का बरडोद, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बरडोद, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके आ.न 805 रकबा 0.5437 है०, कुल खंसरे 1 कुल रकबा 0.5437 है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात संख्या 805 के पश्चिम दिशा में 0.0490 हैक्टेयर पर पड़ौसी आराजी संख्या 2779/805 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी सिंह पुत्र भैरु सिंह राजपूत निवासी बरडोद का कब्जा पाया गया। वादीया के खातेदारी हक अधिकार की होकर स्वामित्व की है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में भी वादीया के नाम पर दर्ज है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादीया के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात के 0.0490 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा कर लिया, जिसको वादीया मौके से बेदखल करा पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 01 आराजी संख्या 2779/805 के खातेदार ने 0.0490 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि उक्त आराजीयात वादीया के खातेदारी हक अधिकार की होकर वादीया के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। वादीया ने दिनांक 20.06.2024 को पत्थरगढ़ी करवाई जिसके मौके पर्चे पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा बताया गया। उक्त आराजी वादीया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादीया के स्वामित्व एवं हक अधिकार की है, जिसका कब्जा हटाने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 को मौखिक तौर पर निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 इस हेतु तैयार नहीं हुये और मौके पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो रहे है। अतः वादीया को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

यह कि प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 भू-धारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है जैसे इनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अनुतोष अपेक्षित नहीं है। यह कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 20.06.2024 से उत्पन्न होकर जारी है। यह कि विवादगस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम बरडोद, पटवार हल्का बरडोद, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र श्रीमान के यहां प्रस्तुत है। वादीया अपना वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 सात नियम 01 एक व 02 दो जा०दी० के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सादर निवेदन करता है कि यह कि वादीया के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात वाके ग्राम बरडोद, पटवार हल्का बरडोद, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित है, जिसके आ.न 805 रकबा 0.5437 है०, कुल खंसरे 1 कुल रकबा 0.5437 है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित कृषि आराजियात संख्या 805 के पश्चिम दिशा में 0.0490 हैक्टेयर पर पडौसी आराजी संख्या 2779/805 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपूत निवासी बरडोद का कब्जा पाया गया। वादीया के खातेदारी हक अधिकार की होकर स्वामित्व की है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में भी वादीया के नाम पर दर्ज है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादीया के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात के 0.0490 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा कर लिया, जिसको वादीया मौके से बेदखल करा पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 01 आराजी संख्या 2779/805 के खातेदार ने 0.0490 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि उक्त आराजीयात वादीया के खातेदारी हक अधिकार की होकर वादीया के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। वादीया ने दिनांक 20.06.2024 को पत्थरगढी करवाई जिसके मौके पर्चे पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा बताया गया। उक्त आराजी वादीया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादीया के स्वामित्व एवं हक अधिकार की है, जिसका कब्जा हटाने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 को मौखिक तौर पर निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 इस हेतु तैयार नहीं हुये और गौके पर लडाई डगडा करने पर आमादा हो रहे है। अतः वादीया को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह कि प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 भू-धारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है जैसे इनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अनुतोष अपेक्षित नहीं है। यह कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 20.06.2024 से उत्पन्न होकर जारी है। यह कि विवादगस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम बरडोद, पटवार हल्का बरडोद, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र श्रीमान के यहां प्रस्तुत है।

1. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।
2. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वत
1.	खाता संख्या 566 जमाबंदी वाके ग्राम बरडोद तहसील हमीरगढ	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076-79 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	तहसीलदार हमीरगढ की पालना रिपोर्ट मय फर्द मौका	मौका फर्द मय नक्शा दिनांक 20.06.2024

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू-1	श्रीमती चन्द्री पत्नि श्रवण	नि0 बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा

4. प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 20.06.2024 में दर्शायी बरंग भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करने का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इशतहुआ वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम उक्त इशतहुआ के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

183. Ejectment of certain trespasser—

- (1) *Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*
- (2) *In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*
6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा 0.5437 है0 मौजा बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ द्वारा निर्णित राजस्व प्रा0पत्र संख्या 06/2021 की पालना में वादीगण द्वारा

अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाई। उक्त पत्थरगढी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ।

8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त पत्थरगढी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.-1 श्रीमती चन्द्री पत्नि श्रवण निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है। साथ ही कथन किया कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ के निर्णय अनुसार हुई। उक्त पत्थरगढी के बाद भी वादीगण की आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है।
10. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 में से 0.0490है0 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा पत्थरगढी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त पत्थरगढी दिनांक 18.08.2022 के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को पत्थरगढी दिनांक 18.08.2022 स्वीकार है। तहसीलदार हमीरगढ के पत्थरगढी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 तथा पत्थरगढी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी की नेखमबंदी की गई। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।
11. प्रकरण में वादी का दावा प्रदर्श संख्या-02 पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से साबित होता है। साथ ही वादी को प्रदर्श संख्या-02 पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 19.02.2016 के समय से अतिक्रमण की जानकारी होने से प्रकरण म्याद के अंतर्गत होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।
12. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा र के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 805

रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-


(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

13. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम इशतद्दुआ को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रथम इशतद्दुआ वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

--:आदेश:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 805 रकबा रकबा 0.5437है0 मौजा मौजा बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा पर पत्थरगढी पालना रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।


(इंवर लाल)
मुख्य अधिकारी
हमीरगढ जिला-भीलवाडा पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला-भीलवाडा